

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर
केशव कुमार गोयल बनाम विनोद कुमार
प्रा०पत्र (खा०सु०) 37/2021

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर०ए०एस०)

पत्रावली संख्या : 37/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

विनोद कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल उम्र 45 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्स विनोद कुमार नितेश कुमार पुरानी सब्जी मण्डी, पोस्ट ऑफिस के पास बयाना जिला भरतपुर
निवासी पुरानी सब्जी मण्डी बयाना जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 27.09.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 04.01.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 27.09.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की कल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 27.10.2020 को


प्रातः 11.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स विनोद कुमार नितेश कुमार सब्जी मण्डी पोस्ट ऑफिस के पास बयाना का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु स्टील की एक ढक्कनदार टंकी में 8 किग्रा0 एवं लोहे (टिन) के एक खुले कार्क लगे पीपे में करीब 13 किग्रा0 घी (लूज) रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/650/एक्ट/2020/722 दिनांक 04.11.2020 द्वारा उक्त घी (लूज) का नमूना अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का घी (लूज) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स विनोद कुमार नितेश कुमार पुरानी सब्जी मण्डी बयाना से घी (लूज) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त घी (लूज) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त घी (लूज) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडैक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 10.10.2020 को दोहपर बाद 02.45 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु घी (लूज) करीब 21 किग्रा0 रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/650/एक्ट/2020/722 दिनांक 04.11.2020 द्वारा उक्त घी (लूज) का नमूना अवमानक स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई

गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोजेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)